

FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम 26)

दादलत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई
 नर्सरी एवं मंगलपुर बरौरा बनाम तहसीलपाल वसुधा
 मुकदमा 136/2004 नं० 119/1798 सन् 2005

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3/22	<p>प्राथीगण/ प्राथीगण वकील उपनिवेश प्राथीगण द्वारा प्राप्त धारा 131 व 136 अन्तर्गत अधिनियम के अन्तर्गत किमा कि गांधी करारपत्र तहसील वसुधा सिविल मुमि खाता सं० नया 56 प्रशा 68 के कुल किता 43 कुल 1 कवा 11-55 50 के प्राथीगण एडवोकेट कारर करा है प्राथीगण शागलासी पाह सं० न० 1191 व 3 संकेष्य शूणी सं० न० 1192 के दिमा उत्तरी शोर में 50 सास्ते की मुमि है। जिलके सं० न० 1281, 1279/1798 रहे है। सास्ते के सं० न० 1281 व 1279/1798 के मुमि व धरने से पूर्व लाबिक न० 120 है एवं पाह व शूणी के संकेष्य नम्बर 1191 व 1192 के लाबिक सं० न० 119 रहे है। मु-पूर्ववर्ध विवाह प्रशा लाबिक न० 120 जे. मु. सास्ते के जी नमे नम्बर वनाप प्रस संकेष्य नकशा द्वारा मे सास्ते के नम्बर जे. मु. पाह लाबिक न० 119 के दिमा साक्षिण की शोर सास्ते का गलत इजाज कर दिया जिले बाबित सायाप सायाप कलेक्टर बांदीकुई जे वकालत/ नकशा इफ्तारी प्रकृत अनारनी जाबिक साप वनाप लक्ष्मण 77/2004 से निर्णय 44-2005 पादित किमा शया जिलकी पालना नंबर 136/2004 तहसीलपाल वसुधा द्वारा कर दिया गया। लोकित साक्षिण कामिकी शया वरगाठ नकशा द्वारा मे सास्ते के सं० न० 1281, 1279/1798 की काम गलत वरगीम कर</p>	

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई



